यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

अधिशासी निदेशक(मा0सं0), "उज्जवल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून -248006 (उत्तराखण्ड)

Executive Director (HR), Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S Road, Dehradun -248006 (Uttarakhand)

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

विषयः यूजेवीएन लिमिटेड में ''सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग'' की ड्राफ्ट सेवा विनियमावलियों के सम्बन्ध में।

समस्त महाप्रबन्धक,

यूजेवीएन लिमिटेड।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि यूजेवीएन लिमिटेड के पत्र संख्या सीः 1639, दिनांक 13–08–2019 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग सहित कतिपय ड्राफ्ट सेवा विनियमावलियॉ निगम की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

इस सम्बन्ध में आंशिक संशोधनोपरान्त ''सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग'' की निम्नलिखित नई ड्राफ्ट सेवा विनियमावलियों की प्रतियॉ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि प्रश्नगत विनियमावलियों के परिप्रेक्ष्य में पुनः यदि कोई टिप्पणी/सुझाव हों तो कृपया अपनी टिप्पणी/सुझाव को दिनांक 31–10–2023 तक मानव संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. UJVNL Engineers (IT) Service Regulation -2023
2. UJVNL Junior Engineers (IT) Service Regulation -2023

उक्त ड्राफ्ट विनियमावलियॉ निगम की वेबसाइट पर भी अपलोड़ की जा रही हैं तथा आपसे अनुरोध है कि कृपया अधीनस्थ सभी कार्मिकों को भी तद्नुसार सूचित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(राजेन्द्र सिंह)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)

प्रतिलिपि उक्त सन्दर्भित संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, देहरादून।
2– निदेशक(परिचालन)/(परियोजनाये)/(वित्त),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3– समस्त अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड।
4– समस्त उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
5– उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0)/अधिशासी अभियन्ता(ई0एण्ड एम0– ।) (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को उपरोक्त ड्राफ्ट सेवा विनियमावलियॉ तत्काल निगम की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6– कम्पनी सचिव, वरिष्ठ विधि अधिकारी(उ0म0प्र0 स्तर), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, देहरादून।
7– समस्त अधिशासी अभियन्ता,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

यूजेवीएन लिमिटेड
अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) सेवा उपविधि–2023

यूजेवीएन लिमिटेड के मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन की धारा–49 तथा धारा–50 एवं उप धारा (16) व (19) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं कम्पनी एक्ट 2013 के खण्ड 10 को संज्ञान में लेते हुऐ निदेशक मण्डल, यूजेवीएन लिमिटेड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा अपने अधीन अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) की भर्ती व सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्न उपविधि बनाते हैं।

भाग–एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) इस उपविधि का संक्षिप्त नाम यूजेवीएन लिमिटेड अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) सेवा उपविधि–2023 है।

(ii) यह उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(iii) यूपीएसईबी अधीनस्थ अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 1972 (यथा संशोधित) एवं इस विषय पर इस उपविधि के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त सभी नियम और उपविधियां एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

2. प्रयोज्यता : यह उपविधि निगम के अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) संवर्ग पर लागू होंगी। जो यूजेवीएन लिमिटेड के गठन के उपरान्त नियुक्त हुऐ हों। इसमें वो कार्मिक भी सम्मिलित होंगे जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में 'उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड' से स्थानान्तरित हो कर यूजेवीएन लिमिटेड में संविलयित हुए हों।

3. अध्यारोही प्रभाव : इस उपविधि में या इस उपविधि में समाहित किसी मामले से सम्बन्धित संवर्ग के किसी पद पर तत्समय लागू किसी अन्य विशिष्ट नियम में कोई असंगतता होने की स्थिति में:–

अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) की सेवा शर्तें इस उपविधि के लागू होने से पूर्व प्रचलित सेवा शर्तों से किसी भी दशा में कमतर नहीं होंगी।

4. सेवा की प्रास्थिति : यूजेवीएन लिमिटेड अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) सेवा उपविधि 2023 में उल्लेखित पद समूह 'ग' के पदों के समकक्ष होंगे।

5. परिभाषाए **:** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस उपविधि में :–

(i) 'अध्यक्ष' से निगम के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ii) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से ऐसा अनुशासनिक अधिकारी अभिप्रेत है जैसा 'उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम, 1999, जो पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा अंगीकृत किये जाने के कारण यथोचित परिवर्तनों (Mutatis Mutandis) सहित यूजेवीएन लि0 में समय–समय पर किये गये संशोधनों के साथ प्रचलित है, में परिभाषित है;

(iii) 'अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी)' से ऐसा अवर अभियंता अभिप्रेत है, जो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस उपविधि के अनुसार नियुक्त किया गया हो;

(iv) 'चयन समिति' से ऐसी समिति अभिप्रेत है जैसा इस उपविधि की धारा 19 में उल्लेखित है;

(v) 'चयन सूची' से इन उपविधि के अनुसार तैयार अभ्यर्थियों की सूची अभिप्रेत है;

DRAFT

(vi) 'निगम' से यूजेवीएन लिमिटेड अभिप्रेत है। (जो पूर्व में उत्तराँचल जल विद्युत निगम तथा बाद में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।) उत्तराखण्ड सरकार के अनुस्मारक संख्या 79 /न.3.उ0/2000, दिनांक 12.01.2021 के अनुसार एवं कम्पनी एक्ट 1956 एवं उसके सम्बन्धित संसोधनों को समाहित करते हुऐ अस्तित्व में आया है।

(vii) 'निदेशक' से निदेशक मण्डल का पूर्णकालिक या अंशकालिक या पदेन सदस्य अभिप्रेत है;

(viii) 'निदेशक (मानव संसाधन)' से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जिसे निगम के मानव संसाधन से सम्बन्धित मामलों की देख–रेख के लिये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(ix) 'नियुक्ति' से सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा संवर्ग के किसी पद पर नियुक्ति अभिप्रेत है;

(x) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से सेवा के सदस्यों के लिये उपविधि (8) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(xi) 'प्रतीक्षा सूची' से नियुक्ति के लिये प्रतीक्षारत चयनित अभ्यर्थियों की ऐसी सूची अभिप्रेत है जैसी इस उपविधि के भाग पाँच के बिन्दु संख्या 21(i) एवं 21(ii) में उल्लिखित है;

(xii) 'प्रबन्ध निदेशक' से निगम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है जिसे उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(xiii) 'बोर्ड' से निगम का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है;

(xiv) 'भर्ती का वर्ष' से कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(xv) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय संविधान के भाग–।। के प्राविधानों एवं नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारत का नागरिक हो;

(xvi) 'विभागीय पदोन्नति समिति' से ऐसी समिति अभिप्रेत है जैसा इस उपविधि की धारा 22(2) में उल्लेखित है;

(xvii) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(xviii) 'सेवा' का अर्थ यूजेवीएन लिमिटेड में इस उपविधि अथवा इसके प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त संगत आदेशों/नियमों/विनियमों के उपबन्धों के अधीन नियमित सेवा से है, जो मौलिक नियुक्ति के पश्चात की गई हो। इसमें अनुबन्ध और दैनिक वेतन के आधार पर प्रदान की गई सेवाएं अथवा अन्य निगमों और संगठनों से यूजेवीएन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवाएं सम्मिलित नहीं है;

(xix) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के सन्दर्भ में अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) पद पर इस उपविधि अथवा इसके प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त संगत आदेशों/नियमों/विनियमों के उपबन्धों के अधीन नियमित सेवा से है, जो मौलिक नियुक्ति के पश्चात की गई हो।

(xx) 'संवर्ग' का अर्थ अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) की सेवा के पदों की इकाई या वर्ग अभिप्रेत है;

(xxi) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

DRAFT

भाग–दो
संवर्ग

6. सेवा का संवर्ग: सेवा में अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी समय–समय पर निगम द्वारा सरकार के विशेष पूर्व अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित की जायेगी, वर्तमान में अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) की शासन द्वारा स्वीकृत कुल पदों की संख्या 03 है।

क्रम सं0	पदनाम	कुल पदों की संख्या
01.	अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	03

परन्तु यह कि किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़े जाने या उसे आस्थगित रखे जाने की स्थिति में कोई व्यक्ति नियुक्ति/प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

7. संवर्ग का वर्गीकरण एवं वेतनमान : सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

इस उपविधि के प्रारम्भ होने के समय संवर्ग और वेतनमान निम्नलिखित हैः–

पदनाम	पे–बैण्ड और ग्रेड–पे
अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	पे बैण्ड रू0 9300–3480+ग्रेड पे रू0 4600 (छठे वेतनमान के अनुसार) वेतन मैट्रिक्स लेवल – 7 वेतनमान रू0 44900 – 142400 (सातवें वेतनमान के अनुसार)

8. नियुक्ति प्राधिकारी: सेवा के लिये नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक (मानव संसाधन) होगा।

भाग–तीन
भर्ती

9. भर्ती का स्रोतः

पदनाम	कोटा	भर्ती का स्रोत
अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	100 %	सीधी भर्ती

भाग–चार
सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं

10. आरक्षण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

11. राष्ट्रीयता: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 01 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानायिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो,

DRAFT

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) एवं (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

परन्तु यह कि इस उपविधि के प्राविधान, नागरिकता अधिनियम 1955 (समस्त संशोधनों सहित) के प्राविधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गये नियमों/ विनियमों एवम् निर्गत आदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

12. आयु:

यदि 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान पद विज्ञापित किये जाते है तो जिस वर्ष भर्ती की जानी है, उस वर्ष की 01 जनवरी को अभ्यर्थी की आयु सीधी भर्ती के लिए कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के दौरान विज्ञापित किये जाते है तो उस वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु सीधी भर्ती के लिए 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी नियत की जाये होनी चाहिए।

इस उपविधि के प्रयोजनार्थ आयु की गणना जन्म की तारीख से की जाएगी। सेवा में प्रवेश से पूर्व जन्म की तारीख के लिए साक्ष्य हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य ऐसी श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले बाह्य अभ्यर्थियों (जो यूजेवीएन लिमिटेड में कार्यरत न हों) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, के लिये अधिकतम आयु उतनी होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

परन्तु यह कि आन्तरिक अभ्यर्थियों (यूजेवीएन लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों) को विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

DRAFT

13. शैक्षिक/तकनीकी अर्हता:

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं होनी चाहिये:-

अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) सीधी भर्ती के लिये अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पास कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में त्रिवर्षीय नियमित डिप्लोमा, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ, विधि द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा राज्य परिषद/विश्वविद्यालय या संस्था अथवा केन्द्र/राज्य सरकार या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था से होना चाहिये। विभागीय कर्मचारियों के लिये 50 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंको से उत्तीर्ण होना चाहिये।

उक्त सभी अभ्यर्थियों के लिये त्रिवर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य होने का अर्थ यह है कि यदि अभ्यर्थी के पास उच्चतर शैक्षणिक योग्यताऐं जैसे बी0ई0/बी0टेक0/ए0एम0आई0सी0ई0/एम0टेक0 इत्यादि हों तथापि उसके पास त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है तभी वह इस श्रेणी में अर्ह माना जाएगा।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से फ्रैन्चाईजी संस्थाओं द्वारा ऑफ–कैम्पस विधि से एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे। निगम की आवश्यकता के दृष्टिगत रिक्तियों का निर्धारण करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) जैसी भी स्थिति हो का होगा।

अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा में लेखन पाठन एवं बोलने का ज्ञान होना चाहिये।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिये विभिन्न शाखाओं में रिक्तियों की संख्या का निर्धारण भर्ती के समय किया जाऐगा।

14. भूतपूर्व सैनिकों तथा कतिपय अन्य श्रेणियों हेतु शिथिलता :

भूतपूर्व सैनिकों, अशक्त सैन्य कर्मियों, सैन्य कार्यवाही में मारे गये सैन्य कर्मियों के आश्रित, दिव्यांगों, निगम में कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रित और खिलाड़ियों तथा किसी अन्य श्रेणी के अम्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताओं या/और किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लिए यदि कोई शिथिलता हो तो इस सम्बन्ध में भर्ती के समय पर प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों का अनुसरण किया जायेगा।

15. चरित्रः

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह निगम की सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

इस सम्बन्ध में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थी निम्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगाः

(एक) विश्वविद्यालय के शैक्षिक अधिकारी–छात्र कल्याण, अधिष्ठाता या प्राचार्य या अपने अन्तिम नियोक्ता से जिसके अधीन उसने कार्य किया हो और;

(दो) दो उत्तरदायी व्यक्तियों से (जो उसके सम्बन्धी न हो), जो उसे भली भांति जानते हो और वह विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बन्धित न हों, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के मामले में चरित्र तथा पूर्ववर्ती किसी सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा वह आवश्यक समझें, अग्रेतर जांच करा सकेगा।

DRAFT

संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको नैतिक अधमता (Moral Turpitude) एवम् अन्य गम्भीर अपराधों में न्यायालय से सजा हो गई है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

16. वैवाहिक स्थिति : ऐसा पुरूष, अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि:

(1) उस व्यक्ति पर लागू पारिवारिक विधि (Personal Law) में इसकी अनुमन्यता है तथा

(2) ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

17. शारीरिक स्वस्थता : किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारिरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारिरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसके अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु यह कि The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (अधिनियम वर्ष 2016 संख्या 49 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग–पाँच
भर्ती हेतु प्रक्रिया

18. भर्ती: भर्ती के लिए चयन इन नियमों के अधीन जब और जैसे आवश्यक हो, की जायेगी। भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त आरक्षण नियमों/रोस्टर का पालन किया जायेगा।

19. सीधी भर्ती हेतु चयन समिति : सीधी भर्ती चयन समिति द्वारा की जायेगी। जिसका गठन भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उच्च प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा, इस समिति में निम्नलिखित का समावेश होगा:-

(1) महाप्रबन्धक (का0एवं औ0सं0)

(2) एक महाप्रबन्धक (ई0 एण्ड एम0) संवर्ग से।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के प्रतिनिधित्व हेतु एक अधिकारी जो उपमहाप्रबन्धक से निम्न पद का न हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का कोई अन्य सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का न हो;

DRAFT

चयन समिति के अध्यक्ष का नामांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि समिति के सदस्यों के मध्य मतभिन्नता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में बहुमत के स्थान पर समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। अध्यक्ष से भिन्न मत रखने वाले सदस्य अपना मत अभिलिखित रूप से समिति की कार्यवाही में प्रस्तुत करेंगे।

20. चयन प्रकिया /सीधी भर्ती**:**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

(2) अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

(3) चयन हेतु दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों तथा निगम की वेबसाइट में अर्ह अभ्यर्थियों से जिनके पास विज्ञापन की तारीख को उत्तराखण्ड में किसी रोजगार कार्यालय में वैद्य पंजीकरण हो, से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासी हैं और उत्तराखण्ड के किसी संगठन में प्रशिक्षुता प्राप्त की है, से रोजगार कार्यालय पंजीकरण की अपेक्षा से मुक्त रखा जायेगा। उत्तराखण्ड के मूल निवासी जिनके पास राज्य से बाहर की किसी संस्थाओं का अर्जित प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र हो और उसने राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षुता प्राप्त की हो वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्था से यथा प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा तीन घंटे की 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रश्नपत्र के भाग एक में 80 अंक और भाग दो में 120 अंक होंगे। भाग एक सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग और अंकीय क्षमता इत्यादि से संरचित होगा। भाग दो में 'डिप्लोमा' स्तर के अभियंत्रण विषयों से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रीति के चार विकल्पीय उत्तरों जिसमें से केवल एक सही/उत्तम उत्तर होगा, वस्तुनिष्ठ के रूप में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए $1/_4$ अंक घटा दिये जायेंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषीय अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे अथवा राज्य–सरकार द्वारा नामित संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था के अनुसार होगी।

(6) सामान्य और अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न–पत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम अर्हता 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में पृथक–पृथक 35 प्रतिशत अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाय, होगी।

(7) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों के नाम व्यवस्थित करते हुए तैयार की जायेगी।

DRAFT

(8) अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा में सामान अंक हों, के नाम इस रीति से व्यवस्थित किये जायेंगे जिससे कि आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में ऊपर के स्थान पर आ जाय।

21. चयन सूची **:**

(i) लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर, चयन समिति, अनारक्षित श्रेणी सहित ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सभी श्रेणियों की रिक्तियों के अनुसार प्रत्याशियों की एक चयन सूची तैयार करेगी।

(ii) चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगी।

(iii) राज्य सरकार भर्ती के दौरान किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त अथवा स्थगित कर सकती है।

भाग–छः
नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिविक्षा, स्थाईकरण एवं वरिष्ठता

22. नियुक्ति**:**

(i) अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्तिः

(1) सभी नियुक्तियां संवर्ग में केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित पद के विरूद्व की जाऐंगी।

(2) अभ्यर्थी का चयन अवर अभियंता के रूप में अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में सीधी भर्ती के लिए चिह्नॉकित रिक्त पद/होने वाले रिक्त पद के विरूद्व किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की चयन सूची में से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में अंकित हैं यथा प्रवीणता क्रम में नियुक्ति करेगा।

(4) यदि कोई चयन सूची से नियुक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नही करता तो प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जायेगी, यद्यपि यदि चयन सूची से नियुक्ति कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करता है और उसके पश्चात एक वर्ष की अवधि में अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो ऐसी रिक्ति प्रतीक्षा सूची से नही भरी जायेगी, अपितु उसे अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(5) अवर अभियन्ता के रूप में किसी मौलिक पद पर चयनित कोई अभ्यर्थी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम चार वर्ष के लिए निगम की सेवा हेतु गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवायें देने के लिए करार निष्पादित करेगा।

(6) अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम एक वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि के लिए जैसा निगम द्वारा विनिश्चित किया जाय, प्रशिक्षणाधीन रहेगा। परन्तु प्रशिक्षणाधीन होने के कारण उसकी मौलिक नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) परिवीक्षा की अवधि के दौरान अभ्यर्थी ऐसे नियमों, उपविधियों और आदेशों से आच्छादित होंगे जैसा कि समय–समय पर आदेशों द्वारा विहित किया जाए और अभ्यर्थी की दक्षता त्रैमासिक रिपोर्ट के माध्यम से नियमित रूप से आंकलित की जायेगी।

DRAFT

(8) परिवीक्षा की समाप्ति पर अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह यथाविहित परीक्षा को उत्तीर्ण करें। यदि अवर अभियंता (सूचना प्रौद्योगिकी) परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी परिवीक्षण अवधि अधिकतम एक वर्ष के अध्याधीन विस्तारित कर दी जायेगी और उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जा सकेगा। इस अवसर के पश्चात भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकता है।

(9) अभ्यर्थी यदि प्रथम परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल होता है तो वह अपनी वरिष्ठता खो देगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र/घोषणा प्रस्तुत करना।

सीधे रूप से भर्ती एक अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय यहां नीचे दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र/शपथ पत्र/बॉण्ड और घोषणाएं प्रस्तुत/जमा करना होगा। इनकी अनुपस्थिति में अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र/शपथ पत्र/बॉण्ड :–

(क). हाई स्कूल से आगे सभी शैक्षणिक/तकनीकी/वृत्तिक अर्हताओं व अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां और साथ में प्रमाणीकरण हेतु मूल प्रतियां। प्रमाणीकरण के पश्चात् मूल प्रतियां लौटा दी जायेंगी।

(ख). जन्म तिथि का प्रमाण।

(ग). चरित्र प्रमाण पत्र।

(iv) अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा

(1). अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त किये गये विश्वविद्यालय, या महाविद्यालय के प्रॉक्टर अथवा प्रधानाचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

(2). दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति (जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार ना हों) जो अभ्यर्थी को भली–भाँति जानते हों, किन्तु अभ्यर्थी के विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न हों।

(3). नियोक्ता प्राधिकारी आवश्यक समझे तो यथोचित संस्थाओं द्वारा अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त जाँच करवा सकता है।

(4). यदि कोई अभ्यर्थी सरकारी या अर्द्धसरकारी/लोक संगठन या स्थानीय निकाय में कार्यरत रहा हो तो उसकी अंतिम नियोक्ता द्वारा उसका कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र।

(5). मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सेवा के लिये चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(6). उत्तराखण्ड राज्य में आरक्षण से सम्बन्धित प्रभावी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता सेनानी आश्रित/पूर्व सैनिक/अशक्त/दिव्यांग या अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसा भी लागू हो की प्रति।

(7). उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी अथवा मूल अधिवासी का प्रमाण पत्र जैसा भी लागू हो।

DRAFT

(8). रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसा लागू हो।

(9). अवर अभियन्ता के रूप में चयनित कोई अभ्यर्थी, नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम चार वर्ष के लिए निगम में सेवारत रहने हेतु न्यूनतम रूपया दो लाख का अथवा समय–समय पर निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि का सेवा बॉण्ड अवर अभियन्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रतिभू (Surety) के साथ एक सौ रूपये (रू0 100/–) के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा। यदि प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से कोई अवर अभियन्ता चार वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व निगम की सेवा से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी और प्रतिभू द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक रूप से निगम को सेवा बॉण्ड की धनराशि भुगतान की जायेगी। बॉण्ड की धनराशि का भुगतान न करने की दशा में निगम द्वारा अभ्यर्थी के समस्त देयकों को रू0 दो लाख अथवा उक्त विनिर्दिष्ट धनराशि के सापेक्ष जब्त (Forfeit) कर लिया जाएगा। यदि उक्त देयकों से बॉण्ड की धनराशि पूर्ण नहीं होती तो ऐसी दशा में निगम द्वारा उक्त अभ्यर्थी एवम् उसके प्रतिभू के विरूद्ध विधिसंगत रूप से धनराशि की वसूली हेतु सिविल अथवा क्रिमिनल कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त सेवा बॉण्ड प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा पब्लिक नोटरी के समक्ष निष्पादित किया जायेगा। अभ्यर्थी और प्रतिभू के हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। बॉण्ड प्रतिभू के संबंध में किसी राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार की श्रेणी से निम्न न हो, का शोधन क्षमता प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किया जायेगा। यदि प्रतिभू किसी राजकीय, अर्द्धराजकीय, लोक संगठनों में कार्य कर रहा हो तो एक नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण वेतन विवरण सहित जिसे नियोक्ता द्वारा जारी किया गया हो, को शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के क्रम में स्वीकार किया जा सकेगा।

या

यदि वह बांड को निष्पादित करने के योग्य नहीं है तो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के प्रारम्भ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक में रूपया दो लाख मात्र का नियत कालिक जमा भी किया जा सकेगा और उसे निगम के नाम से बंधक रखना होगा तथा इस नियतकालिक जमा को मूल रूप में निगम में प्रस्तुत करना होगा। नियतकालिक जमा के साथ उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निगम के नाम से एक अण्डर टेकिंग (Undertaking) जमा करेगा जिसमें यह उल्लिखित किया जायेगा कि चार वर्ष की सेवा के पूर्व निगम को सेवा छोड़ने पर उक्त धनराशि को निगम द्वारा आहरित किया जा सकेगा।

(i) घोषणा पत्र/नामाँकन प्रपत्र/शपथपत्र

(क). वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा पत्र एवं एक से अधिक जीवित पत्नियों के होने/न होने तथा किसी विवाहित पुरूष/स्त्री से विवाह होने/न होने का उपविधि भाग चार के प्रस्तर संख्या 16 के प्राविधानों से संगत घोषणा पत्र।

(ख). निगम में कार्यरत किसी व्यक्ति के साथ सम्बन्ध होने का घोषणा पत्र।

(ग). ऋण से मुक्त होने/ना होने सम्बन्धी घोषणा पत्र।

DRAFT

(घ). समस्त चल अचल सम्पति की घोषणा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा अथवा उसके किसी पारिवारिक आश्रित द्वारा क्रय अथवा अर्जित की गई आवासीय सम्पत्ति सम्मिलित होगी का पूर्ण एवं सही विवरण दिया जायेगा।

(ङ). नोटरी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित स्टाम्प पेपर पर निश्चित प्रारूप में निगम के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ।

(च). किसी राजनैतिक दल से सम्बद्धता/संयोजकता ना होने का घोषणा पत्र।

(छ). किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/लोक संगठनात्मक इकाई अथवा संस्था का कर्मचारी न होने का घोषणा पत्र।

(ज). पारिवारिक सदस्यों एवं आश्रितों के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

(झ). चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन का विवरण। (चार प्रतियाँ)

(ञ). अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों तथा घोषणा पत्रों की सत्यता एवं प्रमाणिकता के सम्बन्ध में शपथ पत्र पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी के दिवालिया ना होने की घोषणा।

(ट). ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये नामाँकन।

(ठ). समय–समय पर यथा संशोधित भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार नामाँकन।

23. स्थायीकरण**:**

(क). अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) को नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा जो नियुक्ति, योगदान की तिथि से मौलिक रूप में प्रभावी होगी।

(ख). प्रशिक्षण के अन्त में अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) को एक लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। लिखित परीक्षा एवम् मौखिक परीक्षा के भारांक (weightage) क्रमशः 88 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत होंगे।

(ग) लिखित परीक्षा का प्रारूप 'Training Test & Evaluation Committee' (TTEC) द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न या वर्णनात्मक प्रश्न अथवा दोनों का संयोजन हो सकता है। प्रश्नपत्र तैयार करना, लिखित परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा का आयोजन 'Training Test & Evaluation Committee' (TTEC) द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में अर्जित कुल अंकों के आधार पर सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का कार्य 'Training Test & Evaluation Committee' (TTEC) द्वारा किया जाएगा।

(घ) 'प्रशिक्षण परीक्षण एवं मूल्यांकन समिति (TTEC) का गठन निम्नानुसार होगा।

(1) विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के महाप्रबन्धक – समिति के अध्यक्ष।

(2) मानव संसाधन विभाग के उपमहाप्रबन्धक – समिति के सदस्य।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के उपमहाप्रबन्धक (जो कि समिति के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन न हो) – समिति के सदस्य।

DRAFT

समिति के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले कार्मिकों द्वारा समिति को कार्यालयीन सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(ङ) यदि कोई अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) प्रशिक्षण के अन्त में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जाएगी और उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाएंगे जिनकी समय सीमा अविस्तारित प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) इन दो अवसरों में भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाऐं समाप्त कर दी जाएंगी।

(च) यदि अभ्यर्थी प्रथम परीक्षा जिसमें वह उपस्थित होता है में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है तो वह अपनी वरिष्ठता खो देगा किन्तु यदि वह उत्तरोत्तर दोनों प्रयासों में भी असफल रहता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

(छ) परीक्षा की समय–सारिणी:–

प्रथम परीक्षा– प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।

द्वितीय परीक्षा–उन अभ्यर्थीयों के लिये आयोजित की जाएगी जो प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं। यह परीक्षा प्रथम परीक्षा के पश्चात चार महीनों के भीतर आयोजित की जाएगी।

तृतीय परीक्षा –उन अभ्यर्थियों के लिये आयोजित की जाएगी जो द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में भी असमर्थ रहते है। यह परीक्षा द्वितीय परीक्षा के पश्चात चार महीनों के भीतर आयोजित की जाएगी।

वह अभ्यर्थी जो चिकित्सा कारणों से परिक्षा(ओं) में उपस्थित हो पाने में असमर्थ रहता है जिन चिकित्सा कारणों के विषय में राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप में प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी परीक्षा(ओं) में उपस्थित होने में असमर्थ रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी को स्वस्थ होने के उपरान्त उक्त परिक्षा(ओं) में उपर्युक्त शर्तों पर उपस्थित होने हेतु तीन अवसर उपलब्ध कराऐ जाएंगे।

24. परिवीक्षा:

(1) नियुक्ति या मौलिक रिक्ति पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा; परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता हैं, जिसके कारण अभिलेखित करने होंगें। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जायेगी। किन्तु इस तारीख के पश्चात नियमित सेवा होने पर विशिष्ट आदेश के अनुपलब्धता के कारण स्थायीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय का परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा हैं यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

DRAFT

(3) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा।

25. स्थायीकरण: परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में औपचारिक आदेश द्वारा स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या(Performance appraisal Report) न्यूनतम संतोषजनक हो।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) परिवीक्षा अवधि (न्यूनतम 2 वर्ष अथवा अधिकतम 3 वर्ष) की समाप्ति के पश्चात यदि कार्मिक की सेवा नहीं समाप्त की जाती तो ऐसी दशा में परिवीक्षा अवधि (न्यूनतम 2 वर्ष अथवा अधिकतम 3 वर्ष) के पश्चात तीन मास के भीतर स्थाई न किये जाने की दशा में भी कार्मिक को औपचारिक आदेश के बिना भी स्वतः स्थाई माना जाएगा।

26. वरिष्ठता: अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण, निगम में वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/मानकों/नीति/उपविधि के अनुसार होगा।

भाग–सात
वेतन इत्यादि

27. पक्ष समर्थन :

(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई अभ्यर्थी, परिवीक्षा की अवधि में अवर अभियन्ता के पद के अनुसार निर्धारित वेतन प्राप्त करेगा। वह महँगाई भत्ते और सभी अन्य स्वीकार्य भत्तों का हकदार होगा।

(ii) अभ्यर्थी को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर तथा दूसरी वेतन वृद्धि परिवीक्षा का द्वितीय वर्ष संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है। वेतनवृद्धि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न करने की दशा में यदि वेतनवृद्धि नहीं रोकी जाती तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

(iii) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि में वेतन, निगम द्वारा समय–समय पर संशोधित नियमों/उपविधियों तथा आदेशों से आच्छादित होगें।

DRAFT

भाग–आठ
विविध प्रावधान

28. पक्ष समर्थन : किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

29. वेतन भत्तों एवं अन्य विषयों का विनियमन : ऐसे विषय जो इस उपविधि में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं उनके सम्बन्ध में सेवा में नियुक्त व्यक्ति, निगम में प्रचलित अन्य सामान्य नियमों/विनियमों/उपविधियों/आदेशों, जो सभी सेवा संवर्गों पर लागू हैं, द्वारा नियंत्रित होंगें।

30. सेवा शर्तों का शिथिलिकरण**:**

(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा–शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके किसी भाग के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वे इस मामले में लागू इस उपविधि में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, इस उपविधि के उपबन्धों की अपेक्षाओं से अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात निर्गत इन उपविधियों के किसी प्राविधान का यह अर्थ नहीं होगा कि निगम द्वारा सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति के प्रकरण को इस प्रकार व्यवहृत (Deal) करने में, जैसा निगम/राज्य सरकार न्यायपूर्ण (Just) एवं साम्यपूर्ण (Equitable) समझे, निगम/राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित अथवा कम किया जा रहा है। निगम का अर्थ यथोचित प्राधिकारी होगा जो प्रकरण के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

परन्तु यह कि इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी प्रकरण इस प्रकार व्यवहृत नहीं किया जाएगा जो इस उपविधि के अन्तर्गत सेवा के सदस्य पर लागू सेवा शर्तों से कमतर हो।

परन्तु सेवा उपविधियों में कोई भी शिथिलीकरण निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार की सहमति के पश्चात ही किया जा सकेगा।

31. व्यावृत्ति**:** इस उपविधि में किसी बात के होते हुए भी –

(क) व्यक्ति जिसे सेवा की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जा चुका है या जिसे संवर्ग के पद में नियुक्त किया जा रहा है या जिसे सेवा के पद के संवर्ग को अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार द्वारा अन्यत्र सेवा के लिए घोषित किया गया है या वह कहीं अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर है तो वह ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार और निगम के मध्य या अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों के मध्य जैसी स्थिति हो, से आच्छादित होगा।

DRAFT

(ख) इस उपविधि के प्रख्यापन से पूर्व सेवा के पदों/संवर्गो में पूर्व में नियमानुसार किए गये चयन और नियुक्तियां इस उपविधि के अनुसरण में की गई समझी जायेंगी।

(ग) यद्यपि स्थानान्तरण योजना के अनुसार इससे पूर्व पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से स्थानान्तरित और सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा शर्ते उनके संविलियन की तारीख को सम्बन्धित कर्मचारियों पर लागू लाभों को कम अनुकूल नहीं किया जायेगा।

32. शक्तियों का प्रत्यायोजन : निगम (अध्यक्ष एवम प्रबन्ध निदेशक, अध्यक्ष, अथवा प्रबन्ध निदेशक जैसी भी स्थिति हो) जब कभी आवश्यक समझे इस उपविधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित (Delegate) या इस उपविधि के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उसकी शक्तियां प्रदत्त (Confer) की जा सकेगी।

33. नियमों का निर्वचन : किसी विनियम, उपविधि उसके खण्ड के निर्वचन के बारे में किसी शंका या कोई उत्पन्न होने वाली घटना के मामले में राज्य सरकार का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

34. संशोधन की शक्ति: किसी भी समय पर इस उपविधि के उपबन्धों में ऐसे संशोधन/परिवर्तन निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार की सहमति के पश्चात ही किया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार निगम के हित में आवश्यक और समीचीन समझे।

35. सामान्य वे सभी कार्मिक जो पूर्ववर्ती यू0पी0एस0ई0बी0/यू0पी0 जल विद्युत निगम लिमिटेड में प्रचलित नियमों के तहत नियुक्त किये गये थे, उनकी सेवा शर्ते यू0पी0एस0ई0बी0/उ0प्र0जल विद्युत निगम लिमिटेड में प्रचलित सेवा शर्तो से कमतर नहीं होंगी।

DRAFT

अनुलग्नक–**1**

अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) संवर्ग हेतु स्टॉफ स्ट्रक्चरः–

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी पद	अस्थायी पद	कुल स्वीकृत पद
01-	उपमहाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01		
02-	अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	01		
03-	सहायक अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	02		
04-	अवर अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी)	03		

DRAFT